# हरियाणा में GST भवन

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)] के अध्यक्ष ने हरियाणा के रोहतक में **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)** के आधिकारिक परिसर, [वस्तु एवं सेवा कर (GST)] **भवन** का उद्घाटन किया।

## मुख्य बिंदु:

- रोहतक के **सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक** पर स्थित यह परियोजना हरियाणा के **प्रमुख ज़िलों से कनेक्टिविटी के केंद्र में** है और GST करदाताओं की सुविधा के लिये आसान एवं त्वरित पहुँच है।
  - अमृत काल में परियोजना का उद्घाटन **नए भारत की क्षमता को दर्शाता है।**
- CBIC **वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा** है।
  - **GST** लागू होने के बाद वर्ष 2018 में **केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC)** का नाम बदलकर **CBIC** कर दिया गया।
  - यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST के संग्रहण और वसूली से संबंधित नीति तैयार करने, तस्करी की रोकथाम तथा CBIC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), एकीकृत GST व नारकोटिक्स से संबंधित मामलों के प्रशासन के कार्यों से संबंधित है।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- **परिचय:** GST **एक मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।**
  - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे **1 जुलाई, 2017 को** [101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016] के माध्यम से **'एक राष्ट्र एक कर'** के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था।
- **GST परिषद:** GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में **GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार** है।
  - संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, **GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा** किया गया था।
- **CGST**: GST के तहत, **CGST** एक कर है जो केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है तथा इसके कोष में योगदान देता है।
- **IGST**: यह वस्तुओं और/या सेवाओं की सभी अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर या दो या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगाया जाने वाला कर है।
- **SGST: SGST** के बराबर राशि एक कर है जो उस विशेष राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, जहाँ बेची गई वस्तु का उपभोग किया जाता है।

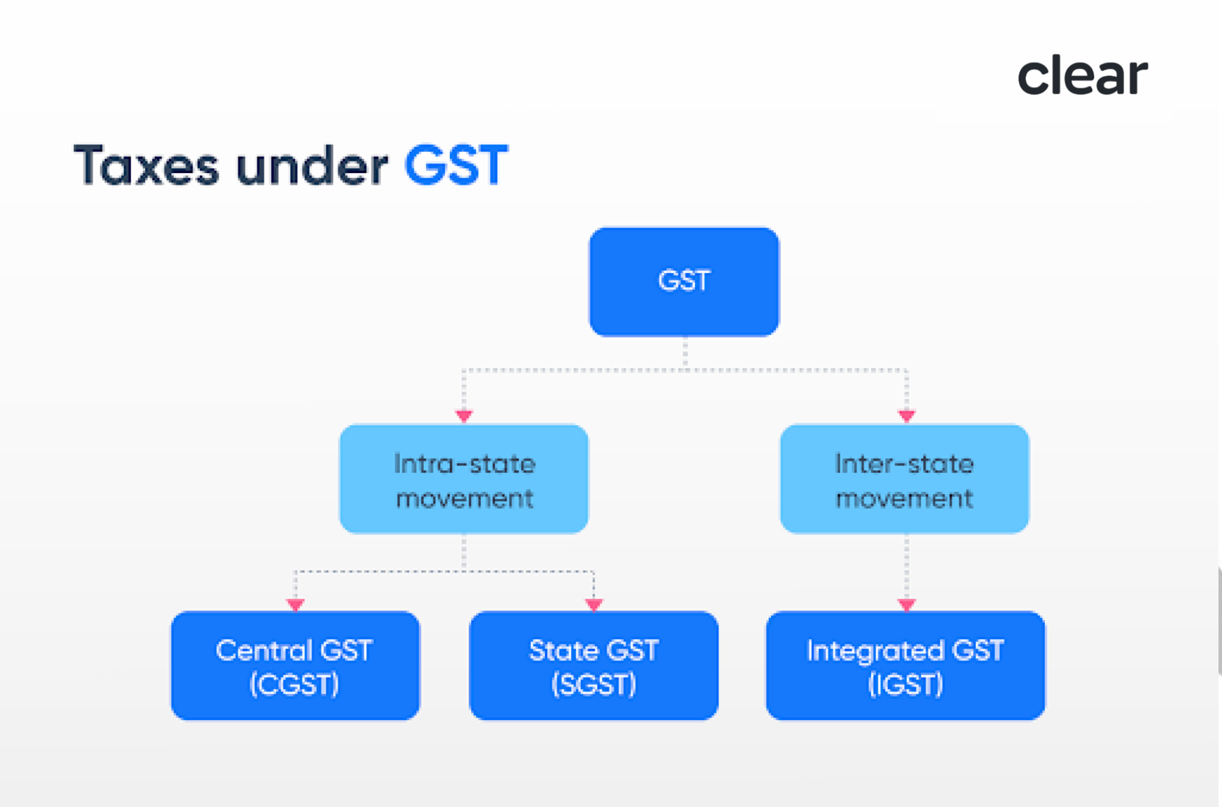


//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gst-bhawan-in-haryana